चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 25.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 25.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं उनकी टीम द्वारा 02 अन्तर्राज्जीय गांजा तस्करों को 13 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा व 01 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि आज दिनाँक 25.09.2024 को थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह को मुखबिर कू सूचना पर भरतकूप मंदिर तिराहे से हीरो होण्डा सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल रजि0 नं0 CG-04 CM-4319 पर सवार अभियुक्त 1.अनिल प्रजापति पुत्र सुकुरुआ उम्र करीब 25 वर्ष निवासी इटौरा थाना पहाडी जनपद चित्रकूट 2.सत्यपाल यादव पुत्र तिलकधारी उम्र करीब 26 वर्ष निवासी मोतीपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ को गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी से अभियुक्तों के कब्जे से 13 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ। अभियुक्तों से कड़ाई से पूंछताछ की गयी तो बताया कि हम लोग यह गांजा उड़ीसा राज्य से लाये हैं तथा जनपद चित्रकूट, जनपद बांदा, जनपद कौशाम्बी, जनपद फतेहपुर एवं प्रयागराज में सप्लाई करते हैं। बरामदशुदा गांजे की कीमत लगभग 03 लाख 30 हजार रुपये करीब है। बरामदशुदा मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया तथा बरामदशुदा गांजा के सम्बन्ध में थाना भरतकूप में मु0अ0सं0 142/2024 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-</u>

1.अनिल प्रजापति पुत्र सुकुरुआ उम्र करीब 25 वर्ष नि0 इटौरा थाना पहाडी जनपद चित्रकूट

2.सत्यपाल यादव पुत्र तिलकधारी उम्र करीब 26 वर्ष नि0 मोतीपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ

<u>बरामदगीः-</u>

(i).13 किलो 200 ग्राम गांजा (कीमत लगभग 03 लाख 30 हजार रुपये)

(ii). हीरो होण्डा सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल रजि0 नं0 CG-04 CM-4319

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1.थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह

2.उ0नि0 श्री यू0टी0 उत्कर्ष कुमार सिंह

3.आरक्षी सतीश यादव

4.आरक्षी रणवीर सिंह

5.आरक्षी संदीप कुमार

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन में थाना मऊ पुलिस ने नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 21.07.2024 को एक वादी द्वारा थाना मऊ में सूचना दी थी कि अतुल कुमार उर्फ रवि कुमार निवासी कालू कुआं कोतवाली नगर बांदा जनपद बांदा हाल पता शंकर बाजार कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट उनकी 16 वर्षीय नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। सूचना के आधार पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 221/2024 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अतुल कुमार उर्फ रवि कुमार पंजीकृत किया गया था। प्रभारी निरीक्षक मऊ द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं पीड़िता की बरामदगी हेतु उ0नि0 श्री शहनबाज खान को निर्देशित किया गया। उ0नि0 श्री शहनबाज खान तथा उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए दिनांक 22.09.2024 को पीड़िता को बरामद कर मेडिकल परीक्षण तथा माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 183 बीएनएसएस के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(2) बीएनएस व 5L/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गयी। उ0नि0 शहनबाज खान तथा

उनकी टीम द्वारा आज दिनांक 25.09.2024 को अभियुक्त अतुल कुमार उर्फ रवि कुमार पुत्र बबलू निवासी कालू कुआं कोतवाली नगर बांदा जनपद बांदा हाल पता शंकर बाजार कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री शहनबाज खान थाना मऊ

2. मुख्य आरक्षी बृजेश कुमार यादव

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्रीप्रकाश यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 66/2018 धारा 302,201,364ए,34,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. बृजेन्द्र आरख पुत्र फूलचन्द्र निवासी सरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 2. ओमप्रकाश उर्फ मुन्ना पुत्र श्यामलाल निवासी कटरी सेरावला थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी को आजीवन कारावास व 28-28 हजार रुपए का अर्थदंड 3. नन्दकिशोर उर्फ ननका पुत्र बोरीलाल निवासी कटरी सेरावला थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी 4. राजेन्द्र 5. महेन्द्र पुत्रगण फूलचन्द्र निवासीगण सरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 04-04 वर्ष कारावास व 05-05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है वादी तीरथ प्रसाद केशरवानी पुत्र रामस्वरूप केशरवानी द्वारा सूचना दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे लड़के संजू उर्फ संजीव को अपहरण कर ले जाना तथा बदले में 15 लाख रूपये की मोबाइल द्वारा मांग करना रूपया न देने पर जान से मारने की धमकी देना। सूचना पर में थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 66/2018 धारा 364ए,506 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर केशव प्रसाद दुबे द्वारा विवेचना की गयी विवेचना से 1. बृजेन्द्र आरख पुत्र फूलचन्द्र निवासी सरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 2. ओमप्रकाश उर्फ मुन्ना पुत्र श्यामलाल निवासी कटरी सेरावला थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी 3. नन्दकिशोर उर्फ ननका पुत्र बोरीलाल निवासी कटरी सेरावला थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी 4. राजेन्द्र 5. महेन्द्र पुत्रगण फूलचन्द्र निवासीगण सरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट का नाम प्रकाश में आया तथा दिनांक 08.08.2018 को आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी मो0 आरिफ तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री श्रीप्रकाश यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना भरतकूप में पंजीकृत मु0अ0सं0 79/2022 धारा 498ए भादवि0 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त 1.अंश कुमार पुत्र रामकिशोर 2. रामकिशोर पुत्र भूरा

3. उर्मिला पत्नी रामकिशोर निवासीगण भारतपुर मजरा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 03-03 वर्ष कारावास व 08-08 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

उल्लेखनीय है वादी श्री जगरूप पुत्र स्व0 रामऔतार पुरी निवासी रामपुर माफी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट ने थाना भरतकूप में सूचना दी थी कि अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री सुमन को दहेज के लिए प्रतड़ित करना मांग पूरी न करने पर गले में रस्सी बांधकर छप्पर से लटका देना। सूचना पर थाना भरतकूप में मु0अ0सं0 79/2022 धारा 498ए,304(B) भादवि0 व ¾ द0प्र0 अधिनियम बनाम मृतका का पति अंश कुमार, ससुर रामकिशोर, सास उर्मिला 4. नन्दकिशोर पुत्र चुनमानी पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय द्वारा संपादित की गयी। अभियुक्त अंश कुमार उपरोक्त को दिनाँक 08.07.2022 को तथा अभियुक्त रामकिशोर व उर्मिला उपरोक्त दिनाँक 15.07.2022 को गिरफ्तार किया गया तथा दिनाँक 03.08.2022 को उपरोक्त तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था तथा अभियुक्त नन्दकिशोर पुत्र चुनमानी की नामजदगी गलत पायी गयी थी। माननीय न्यायालय में ट्रायल के दौरान धारा 304बी भादवि0 का होना नहीं पाया गया तथा उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को धारा 498ए भादवि0 व 3/4 द0प्र0 अधि0 के तहत दण्डित किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन एवं पैरोकार आरक्षी आकाश यादव तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री श्रीप्रकाश यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 10/2020 धारा 498ए,304बी,149 भादवि0 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त 1. विनोद पुत्र ददुआ उर्फ दादूलाल 2.ममता पत्नी ददुआ उर्फ दादूलाल 3. संगीता पुत्री ददुआ उर्फ दादूलाल 4. ददुआ उर्फ दादूलाल पुत्र नत्थू 5. सुनीता पुत्री ददुआ उर्फ दादूलाल निवासीगण प्रसिद्धपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व 08-08 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

उल्लेखनीय है वादी श्री कल्लू पुत्र जौहरी निवासी तिलौली थाना मऊ जनपद चित्रकूट ने सूचना दी थी कि उनकी पुत्री अनीता को ससुरलीजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग कर प्रताड़ित करना व पुत्री को दिनांक 27.01.2020 को हत्या फांसी पर लटका दिया था। सूचना पर दिनाँक 27.01.2020 को घटना के सम्बन्ध में थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 10/2020 धारा 498ए,304(B),149 भादवि0 व ¾ द0प्र0 अधिनियम बनाम मृतका का पति विनोद पुत्र ददुआ उर्फ दादूलाल, सास ममता पत्नी ददुआ उर्फ दादूलाल, ननद संगीता पुत्री ददुआ उर्फ दादूलाल ,ससुर ददुआ उर्फ दादू लाल पुत्र नत्थू, ननद सुनीता पुत्री ददुआ उर्फ दादूलाल निवासीगण प्रसिद्धपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजापुर इश्तियाक अहमद द्वारा संपादित की गयी। दिनाँक 19.02.2020 को उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(8). आज दिनाँक 25.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा चौकी सरैया में थाना मानिकपुर, थाना मारकुण्डी व थाना बहिलपुरवा के विवेचकों का अर्दली रुम किया गया । अर्दली रुम के समस्त विवेचकों से लंबित विवेचना पर विस्तारपूर्वक वार्ता करते हुए विवेचना लंबित रखने का कारण पूछकर गुण दोष के आधार पर विवेचना के शीघ्र निस्तारण करने,महिला सम्बन्धित मुकदमों में अपहृताओं की जल्द से जल्द बरामदगी,पेण्डिग प्रार्थना पत्र, आईजीआरएस,वारण्टी वांछित गिरफ्तारी आदि के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये।

अर्दली रूम के दौरान प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह, प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी शिवआसरे, प्रभारी बहिलपुरवा श्री अजहर जमाल एवं समस्त विवेचकगण उपस्थित रहें।

(9). आज दिनाँक 25.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के नेतृत्व में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु चौकी सरैया क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। महोदय द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया।

पैदल गस्त के दौरान प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह,प्रभारी चौकी सरैया श्री श्यामदेव सिंह एवं अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

(10). आज दिनाँक 25.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय द्वारा महिला बीट रजिस्टर,एंटीरोमियो रजिस्टर आदि का अवलोकन कर महिला बीट प्रणाली के तहत महिला बीट आरक्षियों को अपने बीट क्षेत्र में जाकर महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूक करने जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में आवश्यक निर्देश दिये गये।